

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
मांग संख्या 7
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)										
मुख्य शीर्ष		बजट 2006-2007			संशोधित 2006-2007			बजट 2007-2008		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़		57.85	35.35	93.20	80.19	115.55	195.74	158.99	39.51	198.50
		73.15	3.05	76.20	324.12	67.45	391.57	50.01	8.49	58.50
		131.00	38.40	169.40	404.31	183.00	587.31	209.00	48.00	257.00
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.50	8.02	9.52	0.55	8.02	8.57	...	11.79	11.79
उद्योग										
पेट्रो-रसायन उद्योग										
2. सेन्दूल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स										
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सीआईपीईटी)	2852	20.00	3.38	23.38	20.00	3.38	23.38	18.51	...	18.51
	6856	30.00	...	30.00	12.66	...	12.66	20.00	...	20.00
जोड़		50.00	3.38	53.38	32.66	3.38	36.04	38.51	...	38.51
3. असम गैस परियोजना को आर्थिक सहायता	2852	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	42.62	0.01	42.63
4. अन्य (नई योजनाएं)	2852	...	...	...	...	...	...	5.25	...	5.25
रासायनिक और भेषज उद्योग										
5. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी	2852	...	6.89	6.89	...	54.10	54.10	...	7.25	7.25
6. कीटनाशी निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	1.28	...	1.28	1.28	...	1.28	5.00	1.00	6.00
7. राष्ट्रीय भेषज शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	2852	18.00	11.10	29.10	13.00	11.10	24.10	35.66	13.00	48.66
8. रासायनिक अस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)	2852	0.22	0.05	0.27	0.22	0.05	0.27	0.40	0.05	0.45
9. राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	2852	1.50	5.85	7.35	1.50	4.84	6.34	11.50	5.91	17.41
10. भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस)	2852	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	1.00	0.50	1.50
11. भेषज अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (पीआरडीपी)	2852	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
12. रसायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.10	...	2.10
13. हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	2852	...	...	...	0.95	34.00	34.95	...	...	...
14. अन्य (नई योजनाएं)	2852	...	...	...	...	...	...	16.05	...	16.05
जोड़ - उद्योग		73.26	27.33	100.59	51.87	107.53	159.40	158.09	27.72	185.81
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजना/योजना के लिये एकमुश्त प्रावधान	2552	13.09	...	13.09	40.43	...	40.43	20.90	...	20.90
16. लोक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण										
16.01 स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.02 बंगाल कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	6857	...	1.99	1.99	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.03 बंगाल इम्युनिटी लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.04 इंडियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
16.05 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. (पी.सी.एल)	6856	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
16.06 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि. (एच.आई.एल.)	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	7.43	7.43
16.07 हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)	6857	...	0.01	0.01	...	66.39	66.39	...	0.01	0.01
16.08 हिन्दुस्तान जैव रसायन लि.	6857	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		...	3.05	3.05	...	67.45	67.45	...	8.49	8.49
17. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	4857	25.00	...	25.00	293.31	...	293.31	2.00	...	2.00
	6857	18.15	...	18.15	18.15	...	18.15	28.01	...	28.01
जोड़		43.15	...	43.15	311.46	...	311.46	30.01	...	30.01
कुल जोड़		131.00	38.40	169.40	404.31	183.00	587.31	209.00	48.00	257.00

(करोड़ रुपए)										
विकास शीर्ष	बजट 2006-2007				संशोधित 2006-2007			बजट 2007-2008		
	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
<i>पेट्रो-रसायन तथा भेषज उद्योग</i>										
17.01 हिन्दुस्तान ऑरगेनिक केमिकल्स लि.	12857	25.00	22.59	47.59	270.00	22.59	292.59	1.00	37.11	38.11
17.02 हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	12857	7.15	...	7.15	7.15	...	7.15	6.00	1.00	7.00
17.03 इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.01	...	1.01
17.04 हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	12857	3.00	...	3.00	26.31	...	26.31	2.00	-3.30	-1.30
17.05 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12857	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	20.00	0.59	20.59
17.06 एन.आई.पी.ई.आर	12857	18.00	3.19	21.19	...	3.19	3.19	...	...	...
अन्य निकाय/संस्थाएं (आईपीएफटी, पीआरडीपी, सीपीडीएस)	12857	4.53	...	4.53	...	...	...	...	...	...
<i>जोड़-रसायन तथा भेषज उद्योग</i>		65.68	25.78	91.46	311.46	25.78	337.24	30.01	35.40	65.41
ग. आयोजना परिव्यय										
1. पेट्रो रसायन उद्योग	12856	50.01	...	50.01	32.67	...	32.67	86.38	...	86.38
2. रसायन और भेषज उद्योग	12857	66.40	25.78	92.18	330.66	25.78	356.44	101.72	35.40	137.12
3. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	13451	1.50	...	1.50	0.55	...	0.55	...	...	...
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	13.09	...	13.09	40.43	...	40.43	20.90	...	20.90
जोड़		131.00	25.78	156.78	404.31	25.78	430.09	209.00	35.40	244.40

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए 11.79 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

2. **केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी):** केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना विशिष्ट प्रशिक्षण देने तथा प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण करने के लिये की गई थी। संस्थान ने अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, हल्दिया, इफाल, लखनऊ, मैसूर, पटना और गुवाहाटी, पानीपत, जयपुर और औरंगाबाद में 15 विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है। इस प्रावधान में विभिन्न चालू तथा नई आयोजना स्कीमों हेतु 18.51 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है जिसमें नए केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों की मौजूदा केन्द्रों की ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु 20 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता भी शामिल है।

3. **असम गैस परियोजना को सब्सिडी:** इसमें गैल की अधिक शेयर धारिता के साथ संयुक्त उपक्रम को कम्पनी को चरणबद्ध तरीके से पूंजी सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है, गैल इस परियोजना का मुख्य प्रमोटर है। इस यूनिट के 2011 में कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार सृजित करने की आशा है।

4. **अन्य (नई परियोजनाएं):** 11वीं योजना के दौरान पेट्रो केमिकल्स के क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास की विभिन्न नई योजनाओं को हाथ में लेना प्रस्तावित है। वर्ष 2007-08 के दौरान दीर्घकालिक आधारभूत संरचना को प्रारम्भ/सृजित करने से पहले संगत क्षेत्रों में कई व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने प्रस्तावित है।

5. **भोपाल गैस रिसाव आपदा:** इस व्यवस्था में कल्याण आयुक्त, भोपाल के कार्यालय के सचिवालय के लिए 7.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था और साथ ही पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के मामलों का निर्धारण करने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों जिसमें व्यावसायिक सेवाओं, विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव आदि से सम्बद्ध व्यय भी शामिल है, पर होने वाला व्यय शामिल है।

6. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह संस्थान

पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशी निर्माणों के विकास में लगा है, जो किसानों की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह संस्थान देश में कीटनाशी उद्योग की उन्नति के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। संस्थान को सहायता प्रदान करने के रूप में 1 करोड़ रुपए का आयोजना प्रावधान तथा 1 करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न प्रावधान रखा गया है।

7. **राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह परियोजना चंडीगढ़ के समीप एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित की गई है। इस संस्थान का प्रयास भारत में भेषजीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता को बढ़ावा देना और भारत में भेषजीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस प्रावधान में भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में संस्थान की चल रही योजनाओं के दैनिक व्यय के लिए 13 करोड़ आयोजना भिन्न सहायता तथा 35.66 करोड़ रुपए आयोजना सहायता शामिल है।

8. **रासायनिक शस्त्र अभिसमय (सीडब्ल्यूसी):** भारत रासायनिक शस्त्र अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले आरंभिक हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है। अभिसमय के दायित्व को निभाने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण नामक एक केन्द्रक अभिकरण स्थापित किया गया है। यह अभिकरण एककों का प्रयोग निरीक्षण, दोहरे प्रयोजनों वाले रासायनिक उद्योग की गतिविधियों का अनुवीक्षण, उपयुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और रासायनिक शस्त्र अभिसमय के कार्यान्वयन के संबंध में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन की मदद करता है। सी.डब्ल्यू.सी. अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से लागू किया गया है।

9. **राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** वर्ष 1994 में घोषित नई औषध नीति के एक भाग के रूप में, विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय गठित किया गया है, जो औषधियों और फार्मूलेशन के मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह विनियंत्रित औषधियों और फार्मूलेशन की कीमतों का अनुवीक्षण और औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों के कार्यान्वयन का निरीक्षण भी करता है। बजट प्रावधान में प्राधिकरण के स्थापना खर्चों के लिए आयोजना-भिन्न सहायता तथा औषधि के मूल्यों के अनुवीक्षण की मजबूती के संबंध में आयोजना सहायता शामिल है।

9. **भेषज निर्यात संवर्धन योजना (पीईपीएस):** इसमें बजट प्रावधान औषधियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

10. **रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस):** इसमें बजट प्रावधान विभिन्न संगोष्ठियों कार्यशालाओं के आयोजना द्वारा रसायनों को प्रोत्साहन देने का सुनिश्चय करना तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे दो अभिज्ञात राज्यों में एक विशाल रसायन औद्योगिक संपदा की स्थापना के संबंध में है।

भेषज क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन तथा अनुसंधान और विकास के लिए नई नई योजनाओं को 11वीं योजना के दौरान हाथ में लेना प्रस्तावित है।

15. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रावधान है। इस निधि से असम गैस क्रैकर परियोजना, जो कार्यान्वयन में है के लिए आवश्यक राशि प्रदान की जाएगी।

16. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** ये सरकारी उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक हैं।

17. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों के सम्बंध में बजटीय सहायता का इक्विटी तथा ऋणवार ब्यौरा तथा आईईवीआर व्यय बजट खंड-1 में दिए गए हैं।

17.01 **हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड:** इस प्रावधान में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

17.02 **हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड:** यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डीडीटी, मेथालियान और एंडोसल्फेन तैयार करने के लिए इसका तीन कारखाने चल रहे हैं। इन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम में किया जाता है। इस प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन तथा चालू योजनाओं पर होने वाला 6 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है।

17.04 **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन देश में जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण तथा ऐसी दवाओं के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1954 में किया गया था। इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मणिपुर में तीन परियोजनाएं हैं। इस प्रावधान में संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर व्यय को शामिल किया गया है।

14.05 **बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल):** इस कंपनी की चार विनिर्माण इकाईयां हैं जो कोलकाता में मानिकतला, 24 परगना (उत्तर) पं.बंगाल में पनिहती, मुंबई तथा कानपुर (उ.प्र.) में स्थित हैं। यह कंपनी सौंदर्य प्रसाधन तथा घरेलू उत्पादों के अलावा कई श्रेणियों के औद्योगिक रसायनों, सल्फ्यूरिक एसिड, फैंरिक एलम, कई दवाओं तथा फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माण तथा विपणन करती है। इस प्रावधान में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।